

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एनटीसीपी/2019/2562

दिनांक : 01.01.2019

कार्यालय आदेश

विषय : स्वास्थ्य भवन को पूर्णतया तम्बाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित करने बाबत।

यह कि सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत सभी राजकीय कार्यालयों/भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही तम्बाकू पदार्थों के थूकने से टी.बी., निमोनिया, स्वाईन फ्लू एवं पाचन सम्बंधी रोगों के संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है तथा आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह कि कोई भी व्यक्ति यदि आमजन को सार्वजनिक स्थल अथवा आस-पास अवैधानिक तरीके से कोई खतरा अथवा बाधा पहुंचाता है जैसे कि सार्वजनिक स्थल एवं आस-पास Public Spitting करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 के तहत दोषी होगा।

अतः इस सम्बंध में निदेशालय में आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त कार्यालयों/कक्षों में किसी भी कार्मिक अथवा आगन्तुक के द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों को लाने एवं उपयोग करने के प्रतिबंध की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता अथवा नियंत्रण अधिकारी पर रुपये 200 तक का जुर्माना किया जा सकता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एनटीसीपी/2019/2562

दिनांक : 01.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें को भेजकर लेख है कि उक्त सम्बंध में निदेशालय परिसर में निर्धारित प्रारूप में बोर्ड का प्रदर्शन करावें।
7. शासन संयुक्त सचिव, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एडस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य/आरसीएच/एचए/अराजपत्रित/राजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर।
12. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम), राजस्थान, जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, एमएच/सीएच/एफडब्ल्यू/एमएमयू/आरआई/आरकेएसके/आरबीएसके, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
14. एसएनओ - समस्त वर्टिकल प्रोग्राम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक, आयुष, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
16. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर